बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मासिक प्रतिवेदन

दिसम्बर, 2021

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

विषय सूची — पेज नं.

(A) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम 01

(B) बिहार राज्य आपदा संसाधन नेटर्वक **(BSDRN)** की समीक्षा 02

(C) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण **NDMA** के सहयोग से **BSDMA** द्वारा संयुक्त रूप से **Heat Wave** पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 03

(D) नगरीय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण **(CDMP)** 04

(E) वर्ष 2022–23 में **NIDM** प्रायोजित **TOT (Training of Trainers)** प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव 04

(F) जीविका दीदियों का ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर तीन दिवसीय ''मास्टर ट्रेनर्स'' प्रशिक्षण 05

(G) ''सुरक्षित तैराकी'' प्रशिक्षण मॉड्यूल में संशोधन के लिए बैठक 06–07

(H) गंभीर रेल दुर्घटनाओं के प्रबंधन में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका के निर्धारण एवं समन्वय के लिए **SOP** के अद्यतन प्रारूप पर विमर्श हेतु बैठक 08

(I) बहु–आपदा जोखिम एवं न्यूनीकरण विषय पर सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण 09–10

(J) जिला आपदा प्रबंधन योजना हेतु समीक्षा बैठक 11

(K) सामुदायिक स्वयंसेवक प्रशिक्षण कार्यक्रम सबंधी समीक्षात्मक बैठक 12

(L) दिनांक–26.12.2021 को मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में अंशुल स्नैक्स एवं विवरेज प्रा०लि० में बॉयलर फटने की घटना 13

(M) जिला न्यायालय, मुंगेर के "आपदा प्रबंधन कार्य योजना" अन्तर्गत दिनांक 16.12.2021 को अयोजित बैठक 14

(N) अस्पताल अग्नि सुरक्षा 15

(O) **Mass Messaging** 16– 17

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मासिक प्रतिवेदन (दिसम्बर, 2021)

(A) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

संपूर्ण राज्य में विद्यालयों और स्कूली छात्रों/शिक्षकों की विभिन्न आपदाओं से सुरक्षा हेतु MSSP कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके लिए 16.12.2021 को रिसोर्स पर्सन की बैठक हुई बैठक में जनवरी माह में मदरसा के फोकल शिक्षकों के ट्रेनिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया। मगर कोरोना वायरस के कारण इस कार्यक्रम में अवरोध उत्पन्न हो रहा है और Face to Face प्रशिक्षण कार्यक्रम करना संभव नहीं हो पा रहा है। इन विषम परिस्थितियों में राज्य सरकार कोरोना संबंधी नियमों का उल्लंघन पर सख्त कार्यवाई हेतु तत्पर है साथ ही इसकी रोकथाम हेतु कठोर कदम उठा रही है।

कोरोना की स्थिति सामान्य होने के उपरांत इस कार्यक्रम को शीघ्र शुरू करने का प्रस्ताव है। विदित है कि राज्य में 31 जनवरी, 2022 तक सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ज्ञातव्य है कि प्राधिकरण में भी ज्यादातर कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गये हैं और वर्तमान में संस्थान 50% क्षमता पर कार्यरत हैं। अतएव Face to Face Training सामान्य स्थिति बहाल होने के उपरांत करने का प्रस्ताव है। ऑनलाईन प्रशिक्षण की भी शुरूआत कि जा रही है।
सामान्य परिस्थितियों में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष में लगभग 1000 शिक्षकों तथा 500 मदरसा शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है।

5. राज्य/देश स्तर पर आपदा संबंधी संसाधन संस्थानों की Mapping और विभिन्न कार्यक्रमों में उचित सहयोग हेतु नेटवर्किंग।

6. परिस्थितियां सामान्य होने पर दो दिवसीय सभी राज्यों का राष्ट्रस्तरीय SDMA Meet आयोजन करना है जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

(B) बिहार राज्य आपदा संसाधन नेटर्वक (BSDRN) की समीक्षाः–

राज्य में BSDRN पोर्टल पर सभी जिलों के द्वारा संसाधनों की इलेक्ट्रॉनिक इन्वेंटरी तैयार की जा रही है ताकि आपदाओं के दौरान विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाये। यह संसाधन कहां उपलब्ध है तथा इसे कैसे प्राप्त किया जाए संबंधी संपर्क फोन न. समेत अन्य जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके।

इस क्रम में सर्वप्रथम औरंगाबाद जिला की समीक्षा माननीय सदस्य श्री पी.एन.राय, सदस्य की अध्यक्षता में दिनांक 15.12.2021 को BSDMA के सभाकक्ष में की गई जिसमें औरंगाबाद जिला के आपदा प्रबंधन के नोडल ऑफिसर (ADM) तथा जिला कन्सलटेंट ने भाग लिया। समीक्षा के दौरान कुछ त्रुटियाँ पाई गई जिसके निराकरण हेतु अग्रेतर कार्रवाई सम्पन्न करने हेतु MoM जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया। इस कार्य को त्वरित गति से करने हेतु जिला स्तर पर उचित निर्देश निर्गत किया जाए।

भविष्य में समीक्षात्मक बैठक प्रमंडल स्तर पर करने का प्रस्ताव दिया गया है ताकि सभी 38 जिलों का कम बैठकों में त्वरित रूप से समीक्षा कर उन्हें उचित निदेश दिए जा सकें।

बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (CCDRR) प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली, के सहयोग से दिनांक 17–21 जनवरी, 2022 तक प्रस्तावित है। कोविड–19 महामारी के कारण इसे NIDM ने अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। राज्य के 38 जिलों से प्रतिभागियों का नामांकन मांगा गया था।

BSDRN पोर्टल पर दिसम्बर, 2021 तक 34,437 के मानव बल समेत अन्य उपकरणों से संबंधित आंकड़ेः–

खोज एवं बचाव उपकरण :–	4989
कुशल जनशक्ति :–	12300
परिवहन :–	2264
खाद्य और जलस्त्रोत :–	5156
सुरक्षा और आश्रयः–	8905
आपातकालीन आपूर्ति और सेवाएं :–	823
कुल संख्या :–	**34,437**

(C) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सहयोग से BSDMA द्वारा संयुक्त रूप से Heat Wave पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

Heat Wave पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 3–10 फरवरी, 2022 तक पटना में करने का प्रस्ताव है। इसके लिए माननीय सदस्य श्री पी0 एन0 राय की अध्यक्षता में 06.12.2021 को बैठक हुई। कार्यशाला आयोजन के लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु संस्थान स्तर पर विभिन्न समूहों का गठन किया गया, जिसकी चार समीक्षात्मक बैठक की जा चुकी है। NDMA से भी समन्वय बनाकर निरंतर कार्य किया जा रहा है। 20 दिसम्बर को पुनः माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यशाला के आयोजन की तैयारी की समीक्षा हुई। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

(D) नगरीय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण (CDMP)

बिहार के कुल 12 नगर निगम हैं, सभी नगर निगमों के लिए नगरीय आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण के लिए 06 वाह्य एजेंसियों को टेंडर के माध्यम से चयनित किया गया है। यह इस प्रकार है।

क्रं.सं.	एजेंसियों के नाम
1.	Society of Public Safely & Habitat Management, New Delhi
2.	Knowledge Links Pvt. Ltd. Ghaziabad
3.	Seeds Technical Services, New Delhi.
4.	AFC India Ltd. New Delhi
5.	Prof. G.P Sinha Centre for Disaster Management and Rural Development, Patna
6.	Indian Institute of Public Administration, New Delhi

उपरोक्त वर्णित एजेंसियों के द्वारा Inception Report जमा किया गया है तथा कार्य प्रारंभ करने हेतु अग्रिम राशि BSDMA के द्वारा निर्गत की जा चुकी है। दिसम्बर माह से कार्य प्रारंभ करने के लिए संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया गया है।

(E) वर्ष 2022–23 में NIDM प्रायोजित TOT (Training of Trainers) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM नई दिल्ली के सहयोग से वर्ष 2022–23 में पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से आयोजित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। TOT प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव 22 दिसम्बर को NIDM को भेजा गया।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(F) जीविका दीदियों का ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर तीन दिवसीय ''मास्टर टेनर्स'' प्रशिक्षण

जीविका दीदियों को "आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन" विषय पर तीन दिवसीय राज्यस्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। ''प्राकृतिक आपदाएं'' विषय पर 21 से 23 दिसम्बर 2021 तक मुंगेर, नालंदा, नवादा, बांका एवं वैशाली के 29 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण में क्षेत्रीय समन्वयक एवं सामुदायिक समन्वयकों ने भाग लिया। इन प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से जीविका दीदियों को जागरूक करने का लक्ष्य है। इस संबंध में माह दिसम्बर 2021 तक सात बैचों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 186 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है, जो इस प्रकार हैः–

क्र0सं0	दिनांक	प्रतिभागी जिला	प्रतिभागियों की संख्या
1	10–12 अगस्त, 2021	पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा एवं मधुबनी	27
2.	01–03 सितम्बर, 2021	मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर	22
3.	14–16 सितम्बर, 2021	गोपालगंज, प0 चम्पारण, पूर्वी चम्पारण एवं सिवान	28
4.	20–22 अक्टूबर, 2021	भागलपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय एवं कटिहार	31
5	16–18 नवम्बर, 2021	सहरसा, सुपौल एवं किशनगंज	17
6	07–09 दिसम्बर, 2021	लखीसराय, भोजपुर, बक्सर, सारण एवं वैशाली	32
7	21–23 दिसम्बर, 2021	मुंगेर, नालंदा, नवादा, बांका एवं वैशाली	29
		कुल	186

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(G) ''सुरक्षित तैराकी'' प्रशिक्षण मॉड्यूल में संशोधन के लिए बैठक

"सुरक्षित तैराकी'' प्रशिक्षण मॉड्यूल में आवश्यक संशोधन के लिए प्रतिभागियों की 28 दिसम्बर 2021 को बैठक हुई। बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :–

1. मॉड्यूल के **"बाल सुरक्षा के मुद्दों पर समुदाय का संवेदीकरण"** अध्याय की समीक्षा कर तैराकी प्रशिक्षण से संबंधी आवश्यक बिन्दुओं को रखा जाएगा।

2. कोरोना एवं अन्य महामारियों की रोकथाम के उपायों के बारे में अलग से एक अध्याय को प्रशिक्षण मॉड्यूल में जोड़ा जाएगा।

3. मॉड्यूल के "डूबने से बचाव के उपरांत प्राथमिक उपचार" अध्याय से हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार एवं रक्तस्त्राव रोकने की विधि आदि विषयों की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

4. मौसम एवं कोविड की मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रख कर समुदाय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम फरवरी से जून एवं सितम्बर से अक्टूबर माह तक किया जाएगा।

5. मानसून के दौरान मास्टर ट्रेनर्स, मुखिया/सरपंच, शिक्षक आदि के सहयोग से समुदाय स्तर पर डूबने की घटनाओं की रोकथाम के उपायों के संबंध में प्रचार–प्रसार किया जाएगा।

6. समुदायिक प्रशिक्षण स्थल पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु पुलिस प्रशासन का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। प्रशिक्षण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से होम गार्ड्स के जवानों को प्रशिक्षण किया जाएगा, साथ ही इस कार्य में स्थानीय मुखिया/सरपंच का सहयोग जाएगा।

7. समुदाय स्तर पर बालक/बालिकाओं के प्रशिक्षण को 12 दिवसीय के स्थान पर 15 दिवसीय किए जाने पर सहमति बनी।

8. समुदाय स्तर पर बालक/बालिकाओं के प्रशिक्षण हेतु स्थल का चयन मास्टर ट्रेनर्स के साथ–साथ अन्य संबंधित अंचल अधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में ही किया जाएगा। इस कार्य हेतु एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 का भी सहयोग लिया जा सकता है।

9. प्रशिक्षण मॉड्यूल के प्रथम चरण में नदियों के 05 कि0मी0 की परिधि के गाँवों/मुहल्लों के बच्चों को शामिल किया जाना है, जबकि तालाबों, नहरों एवं गड्ढ़ों में भी डूबने से होने वाले मौत की संख्या काफी अधिक है। इसलिए नदियों के साथ–साथ तालाबों, नहरों आदि के आस–पास के बालक/बालिकाओं को प्रशिक्षण में शामिल करने पर सहमति बनी।

10. प्रशिक्षण मॉड्यूल में मास्टर ट्रेनर्स की अहर्ता एवं दक्षता जाँच के लिए दिए गए मानदण्डों को पुनः समीक्षा करने पर सहमति बनी।

11. प्रशिक्षण के उपरांत प्राधिकरण स्तर से ही प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने पर विमर्श किया गया।

12. जल की गुणवत्ता की जाँच के बारे में अपनायी जाने वाली विधियों को प्रशिक्षण मॉड्यूल में समाहित किया जाएगा।

13. बंशी जाल एवं झग्गड़/कांटा से डूबे हुए व्यक्ति/सामग्रियों की तलाश को लेकर सिर्फ राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया जायेगा।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर प्रशिक्षण मॉड्यूल में संशोधन के लिए एक समिति का गठन किया गया।

(H) गंभीर रेल दुर्घटनाओं के प्रबंधन में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका के निर्धारण एवं समन्वय के लिए SOP के अद्यतन प्रारूप पर विमर्श हेतु बैठक

गंभीर रेल दुर्घटनाओं के प्रबंधन में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका के निर्धारण एवं समन्वय बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई SOP के अद्यतन प्रारूप पर विमर्श हेतु मा0 उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 30.12.2021 को प्राधिकरण के सभागार में बैठक हुई। बैठक में प्राधिकरण के मा0 सदस्य, सचिव तथा आपदा प्रबंधन विभाग, रेलवे सुरक्षा बल, पूर्व केन्द्रीय रेल, जिला प्रशासन, पटना, एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0, अग्निशमन सेवा, रेलवे पुलिस एवं बिहार पुलिस आदि के पदाधिकारियों ने आवश्यक सुझाव दिए। इन सुझावों के अनुसार SOP का अद्यतन किया जा रहा है। रेल दुर्घटना होने पर दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों को राहत पहुंचाने एवं बेहतर समन्वय हेतु संबंधित एजेंसियों/हितधारकों का प्रशिक्षण एवं मॉकड्रिल किया जाना आवश्यक है। प्रशिक्षण एवं मॉकड्रिल कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(I) बहु–आपदा जोखिम एवं न्यूनीकरण विषय पर सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण

हमारा बिहार राज्य बहु–आपदा प्रवण राज्य है। फलतः हमारे गाँव, पंचायतों, प्रखण्ड एवं जिलों में विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं। पंचायतों में कुछ नौजवान आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन हेतु जरूरी ज्ञान और हुनर सीख लें तो वे अपने गाँव, पंचायत, प्रखंड एवं जिले को आपदाओं से सुरक्षित रख सकते हैं। इस उद्देश्य हेतु प्रशिक्षण के माध्यम से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य के प्रत्येक पंचायत में 10–10 उत्साही नौजवानों/नवयुवतियों को प्रशिक्षित कर आपदाओ के प्रत्युत्तर हेतु तैयार कर रहा है ताकि आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने में वे अपने समुदाय के मददगार हो सकें। जिसका उद्देश्य है अपने गाँव, पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर विभिन्न आपदाओं की प्रवणता की जानकारी हासिल करना एवं उन आपदाओं के जोखिम–न्यूनीकरण तथा प्रबंधन में समुदाय की सहायता करने हेतु स्वयं को तैयार करना है। इसके मद्देनजर दिसम्बर माह में दिनांक 13.12.2021 से 25.12.2021 तक मुजफ्फरपुर जिला के कुल 40 स्वयसेवकों को 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया, जिसमें कोविड–19 के दृष्टिगत सामाजिक दूरी का पालन करते हुये 20–20 की संख्या में दो क्लासों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। दिसम्बर माह तक पुर्णिया एवं मुजफ्फरपुर जिले के कुल 200 स्वयसेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। जिसके अंतर्गत विभिन्न विषयों को समाहित किया गया है।

- बाढ़ से बचाव–पूर्व, दौरान व बाद
- आपदाओं के परिपेक्ष्य में बिहार राज्य की संवेदनशीलता
- घरेलू संसाधन से राफ्ट तैयार करना
- जीवन रक्षा तकनीक
- गांठों का सही प्रयोग एवं रस्सी का उचित उपयोग
- नदी/तालाब में डूबने से बचाव की तकनीक
- डूबने से बचाने की विधियां
- दुर्घटना मे घायल को सुरक्षित विधियों से ले जाने की विधि

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

- विभिन्न दुर्घटनाओं में अस्पताल पूर्व चिकित्सा
- बिहार : भूकंप की प्रवणता
- भूकंप के छद्म अभ्यास (मॉकड्रील) के स्टेज
- सी0पी0आर0 प्रक्रिया
- अगलगी के प्रकार, आग बुझाने के दल और तरीके
- ठनका, लू और शीतलहर के दौरान बचने का सबसे सुरक्षित तरीका
- सुरक्षित नौका परिचालन एवं जल स्वच्छता
- जल–जीवन–हरियाली
- बाल विवाह, दहेज उन्मूलन और नशा मुक्ति
- महिला एवं बाल स्वास्थ सुरक्षा
- मनो समाजिक समस्याएं
- सर्पदंश प्रबंधन
- सड़क दुर्घटना को कम करने के उपाय

(J) जिला आपदा प्रबंधन योजना हेतु समीक्षा बैठक

रोहतास एवं वैशाली जिले की जिला आपदा प्रबंधन योजना को संबंधित एजेंसी के सहयोग से दिनांक 9.12.2021 एवं 14.12.2021 को समीक्षा व संशोधित कर अध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अनुमोदन हेतु भेजा गया है। उक्त बैठक श्री पी.एन. राय, माननीय सदस्य की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन योजना के सभी अध्यायों पर आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा दिये गये सुझावों पर विस्तृत चर्चा की गयी एवं संबंधित सूचनाओं को संकलित व अद्यतन किया गया। इस बैठक में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से जिला प्रभारी, प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग से विशेष कार्य पदाधिकारी और सबंधित एजेंसी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त नवादा और जमुई जिले द्वारा स्वीकृत जिला आपदा प्रबंधन योजना राज्य स्तर पर प्राप्त हो चुकी है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(K) सामुदायिक स्वयंसेवक प्रशिक्षण कार्यक्रम सबंधी समीक्षात्मक बैठक

राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, सिविल डिफेंस एवं अग्निशाम सेवा के प्रतिनिधियों के साथ श्री पी.एन.राय, माननीय सदस्य की अध्यक्षता में सामुदायिक स्वयंसेवकों के बहु आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर प्रशिक्षण प्रारंभ किये जाने के संदर्भ में दिनांक 10/12/2021 हुई एवं सभी संस्थाओं को अवगत कराया गया कि अब तक पूर्णिया और मुजफ्फरपुर जिले में कुल 200 सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह प्रशिक्षण 12 दिवसीय आवासीय परिसर में बहु आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर आयोजित किया जा रहा है जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत से 10 सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाना है। उक्त प्रशिक्षण सभी संस्थाओं में प्रारम्भ किये जाने हेतु आवासन, भोजन आदि सभी आवश्यकताओं के संदर्भ में प्राधिकरण सहयोग करेगा।

(L) दिनांक–26.12.2021 को मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में अंशुल स्नैक्स एवं विवरेज प्रा०लि० में बॉयलर फटने की घटना

दिनांक–26.12.2021 को पूर्वाहन् 9:45 बजे बेला औद्योगिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर फेज–2 प्लाट संख्या–एन०एस०–5 पर अवस्थित सर्व श्री अंशुल स्नैक्स एवं विवरेज प्रा०लि० जो नूडल्स का उत्पादन करती है जिसमें बॉयलर फटने की घटना हुई। उक्त घटना सबंधी अध्ययन के लिए प्राधिकरण स्तर पर एक टीम का गठन किया गया जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग, अग्निशाम सेवाएं, राज्य आपदा मोचन बल एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दो–दो प्रतिनिधियों ने स्थल भ्रमण किया। यह इकाई सर्वप्रथम बियाडा के द्वारा वर्ष 2007 में फ्लोर मिल आटा, सूजी, मैदा मालिक श्री रामपूजन सिंह को आंवटित की गई थी। उसके उपरान्त वर्ष 2018 में सर्वश्री अंशुल स्नैक्स विवरेज प्रा0लि0 को हस्तान्तरित की गयी। जिसमें M/S फारवेस वाइनेक प्रा0 लि0 पुणे द्वारा वर्ष 2019 में निर्मित बॉयलर को स्थापित किया गया था। इकाई में लगे बॉयलर फटने से आस–पास का क्षेत्र ध्वस्त हो गया, पास में सटे ईंट की दिवारें धरासाई हो गई उसकी सेड का हिस्सा पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया और इसके साथ–साथ इस इकाई के समीप दूसरे इकाइयों जैसे धरती एग्रो चूड़ा मिल एवं प्रभात खबर आदि पर बायलर के क्षतिग्रस्त भाग लगभग 200–500 मी0 दूर जाकर गिरने से आंशिक रूप से धवस्त हो गया। इसमें दो मजदूरों की मृत्यु हो गई। इसके अतिरिक्त इकाई के नजदीक बसावट (ग्रामीण क्षेत्र) में कुछ भवनों में अत्यधिक आवाज से घरों के शीशे आदि क्षतिग्रस्त हो गये।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(M) जिला न्यायालय, मुंगेर के "आपदा प्रबंधन कार्य योजना" अन्तर्गत दिनांक 16.12.2021 को अयोजित बैठक

दिनांक 16.12.2021 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से योजना के प्रारूप में विषय वस्तु को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के परिप्रेक्ष्य में अभिमुखिकरण किया गया। मुंगेर जिला न्यायालय परिसर के दृष्टिगत संभावित आपदाओं यथा–आगजनी, बाढ़, भूकम्प, वज्रपात आदि एवं संभावित संकट (hazards) यथा–भगदड़, हिंसात्मक गतिविधियां, संक्रामक बीमारियां आदि को प्राथमिकता के आधार पर परिसर अवस्थित जोखिम वाले स्थानों यथा– रिकार्ड रूम, हाजत आदि की पहचान कर संवेदनशीलता का आकलन चिह्नित करते हुए सुरक्षा के उपायों संबंधी पूर्व तैयारी, शमन उपाय एवं जागरूकता संबंधी गतिविधियों को कार्य योजना में समाहित किये जाने संबंधी ध्यान आकृष्ट किया गया।

उपस्थितिः–

1. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर।
2. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), मुंगेर।
3. न्यायाधीश, प्रभारी, प्रशासन, मुंगेर।
4. श्री नीरज कुमार सिंह, सीनियर कंसल्टेन्ट, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
5. श्री कुलभूषण कुमार गोपाल, वरीय संपादक, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
6. श्री अजय सिंह, जिला अग्निशाम पदाधिकारी, मुंगेर।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(N) अस्पताल अग्नि सुरक्षा

'अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम' के तहत '16 बिंदु अग्नि प्रवणता सूचकांक' के आधार पर दिसम्बर माह में राज्य के कुल 209 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया जिसमें 69 सरकारी एवं 140 निजी अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों का निरीक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देश में अग्नि शाम सेवाएं के अधिकारियों द्वारा किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:–

माह दिसम्बर 2021 में अस्पतालों/नर्सिंग होमस् के भवनों में फायर ऑडिट का ऑकड़ा।

क्र0स0	जिला का नाम	कोविड अस्पताल			नन कोविड अस्पताल		
		सरकारी	निजी अस्पताल	कुल	सरकारी	निजी अस्पताल	कुल
1	पटना	00	00	00	01	36	37
2	नालंदा	00	00	00	00	09	09
3	रोहतास	00	00	00	00	00	00
4	भभुआ	00	00	00	00	24	24
5	भोजपुर	00	00	00	01	01	02
6	बक्सर	00	00	00	01	01	02
7	गया	00	00	00	00	00	00
8	जहानाबाद	02	00	02	00	04	04
9	अरवल	00	00	00	00	00	00
10	नवादा	00	00	00	00	00	00
11	औरंगाबाद	00	00	00	05	09	14
12	छपरा	00	00	00	00	00	00
13	सिवान	01	00	01	19	00	19
14	गोपालगंज	00	00	00	16	00	16
15	मुजफ्फरपुर	00	00	00	08	02	10
16	सीतामढ़ी	00	00	00	00	01	01
17	शिवहर	00	00	00	00	00	00
18	बेतिया	00	00	00	00	01	01
19	बगहा	00	00	00	00	01	01
20	मोतिहारी	00	00	00	00	02	02
21	वैशाली	00	00	00	00	00	00
22	दरभंगा	00	00	00	00	06	06
23	मधुबनी	00	00	00	00	08	08
24	समस्तीपुर	00	00	00	00	00	00
25	सहरसा	00	00	00	00	00	00
26	सुपौल	00	00	00	00	00	00
27	मधेपुरा	00	00	00	00	03	03
28	पूर्णिया	00	02	02	00	01	01
29	अररिया	00	00	00	02	01	03
30	किशनगंज	00	00	00	00	01	01
31	कटिहार	00	00	00	05	02	07
32	भागलपुर	03	02	05	00	14	14
33	नवगछिया	01	00	01	00	00	00
34	बाँका	00	00	00	00	00	00
35	मुंगेर	00	00	00	00	00	00
36	लखीसराय	00	00	00	00	00	00
37	शेखपुरा	00	00	00	00	00	00
38	जमुई	00	00	00	00	06	06
39	खगड़िया	01	00	01	02	00	02
40	बेगुसराय	01	01	02	00	02	02
कुल योग		9	5	14	60	135	195

(O) Mass Messaging

बिहार एक बहुआपदा प्रवण राज्य है, जहां लगभग सभी तरह के प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं घटित होती रहती हैं। यह राज्य जहां एक ओर लगभग हर वर्ष बाढ़ के प्रकोप को झेलता है, वहीं दूसरी ओर सुखाड़, अग्निकांड, शीतलहर लू, वज्रपात आदि आपदाओं से राज्य का एक बड़ा भू–भाग प्रभावित होता है। भूकंप की दृष्टि से भी बिहार अत्यन्त संवेदनशील है। प्राकृतिक आपदाओं को हम पूरी तरह रोक तो नहीं सकते, परंतु बेहतर आपदा प्रबंधन एवं इसके सुदृढ़ीकरण से नुकसान को कम कर सकते हैं। इसके लिए आमलोगों को आपदा की खतरा से अवगत कराना जरूरी है। इसलिए आपदाओं में 'क्या करें क्या न करें की जानकारी एसएमएस के माध्यम से लोगों को दी जाती है।

प्राधिकरण में उपलब्ध विभिन्न मोबाइल नंबर जैसे जिला पदाधिकारी DM (38), ADM (38), BDO (534), CO (534), साथ ही साथ प्रशिक्षित फोकल टीचर (1542), नाव एवं नाव मालिक (3820), पंचायत जनप्रतिनिधि (**चयनित–207429**, गैर चयनित–**435699**), जीविका दीदी– (**148890**), आशा कार्यकर्ता (**77542**), आगनबाड़ी सेविका (**45946**) एवं प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित अभियंताओं एवं राजमिस्त्रियों समेत अन्य **लगभग 36 लाख नंबर** पर विभिन्न आपदाओं के बारे में समय–समय पर सामूहिक संदेश संप्रेषण (मैसेजिंग) नियमित किये जाते हैं।

मास मैसेजिंग आपदा प्रबंधन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण यूनिट बन गया है। इसका उपयोग न केवल Early Warning तक सीमित है, बल्कि आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों जैसे Disaster Preparedness, Mitigation पर जागरूकता एवं बचाव हेतु भी जानकारी भेजी जाती है। इस तकनीक की मदद से कम समय में अधिकतम लोगों को Text Message के रूप में क्या करें, क्या न करें की जानकारी दी जा रही है। माह दिसम्बर 2021 में कुल **3210808** मास मैसेजिंग किया गया।

निम्नलिखित आपदाओं से बचाव के लिए संदेश भेजे गए:–

- **ठंड से बचने के उपाय:–**

जनहित में जारी संदेश इस प्रकार भेजे गए।

ठंड से बचने के उपायः

बाहर जाना हो तो समुचित गर्म कपड़े पहन कर ही निकलें।

सिर, हाथ एवं पैर को ठीक तरह से ढक लें।

शरीर का तापमान ठीक रखने के लिए पौष्टिक आहार एवं गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें।

उच्च रक्तचाप, मधुमेह के मरीज तथ हृदय रोगी चिकित्सक की सलाह जरूर लेते रहें तथा सामान्यता धूप होने पर ही घर से बाहर निकलें।

विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर नजदीकी अस्पताल से चिकित्सीय परामर्श लें।